राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	चन्दालाल बनाम रामनारायण 870/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/09/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/09/2025 को पेश हो।	
23/09/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 एवं रेस्पो. संख्या 2 लगा. 6 के हक़पूर्वाधिकारी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की प्रोपर तामील करवाये बगैर ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05/07/2024 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 30/05/2024 में आगामी पेशी दिनांक 06/07/2024 नियत किये जाने के पश्चात अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना/जानकारी दिये बगैर ही उसमे कांट-छांट कर आगामी पेशी दिनांक 06/06/2024 नियत किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में कांट-छांट किये जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 16 की अनुपस्थिति दर्शाते हुये आगामी तारीख पेशी दिनांक 20/06/2024 नियत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05/07/2024 पारित करते हुये तहसीलदार को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये एवं मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का जवाब बन्द किये जाने के पश्चात भी प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी किये जाने से पूर्व अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुना जाना न्यायहित में आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05/07/2024 में पारित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में दुरुस्ती किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 152 जाप्ता दीवानी को नोट प्रेस करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर तथा विधि के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05/07/2024 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02/05/2024 को प्रतिवादीगण की तामील हेतु भेजे गये रजिस्टर्ड एडी नोटिस रिफ्युज की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने पर तामील पूर्ण माने जाने	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	चन्दालाल बनाम रामनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का अंकन है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना में की गयी कार्यवाही ही है, जो सही है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06/07/2024 को अपीलार्थी उपस्थित नही आये | अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के विभाजन को रोकने के उद्धेश्य से इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री 05/07/2024 के विरूद्ध यह अपील लेकर आये है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की तामील करवाने के उपरान्त ही उपस्थित पक्षकारान के प्राथमिक डिक्री पारित करने के निवेदन किये जाने पर ही सही रूप से राजस्व बोर्ड के नियमानुसार पक्षकारान को सूचित कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाये जाने के निर्देशों के साथ अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है, जिसमे कोई त्रुटी नही है | अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय आदेशिकाऐ अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होती है की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित आदेशिका दिनांक 30/05/2024 में नियत आगामी पेशी में ओवर राइटिंग किया जाना जाहिर होता है एवं तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति अंकित कर अपीलार्थी को उनका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | विधि अनुसार भी सहखातेदार के मध्य विभाजन किये जाने से पूर्व प्रत्येक सहखातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक होता है ताकि बाद विभाजन खातेदारान के मध्य कोई विवाद शेष नही रहे | अत: ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को सुनकर पुन: प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05/07/2024 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष की सुनवाई कर विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर